न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील– निर्वाचन सं0 22/2020

1. नरेश पुत्र डालूराम
2. अनीता पत्नी जयकुमार
3. बीना पत्नी नरेश
4. पूनम पत्नी चन्द्रमोहन

जातियान ब्राहमण निवासीयान वार्ड संख्या 3, कस्बा बयाना जिला भरतपुर (राज0)

.... अपीलांट्स

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम) बयाना

.... रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ आदेश दिनांक.......................
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम)
बयाना

निर्णय **दिंनांक : 27.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक .... के पेश की है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट्स वार्ड नं0 3 कस्बा बयाना में निवास करते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने अपीलान्ट्स के नाम गलती से वार्ड नं0 10 की मतदाता सूची में जोड़ दिए हैं। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील में उनके नाम वार्ड सं0 10 से वार्ड सं0 3 में कस्बा बयाना की मतदाता सूची में शिफ्ट किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से तहत पत्रावली व टिप्पणी तलव की गई, टिप्पणी संलग्न मिसिल है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) बयाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि अपीलान्ट्स के द्वारा उनकी अपील में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित कोई भी आवेदन उनके

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:34:25 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा लगाये गए आरोप मनगढन्त व कपोल कल्पित हैं।

पत्रावलियों का अवलोकन किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से प्राप्त टिप्पणी/जबाव पर गौर किया। अपीलान्ट्स द्वारा वार्ड संख्या 10 कस्बा बयाना से वार्ड संख्या 03 में अपने नाम जुड़वाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के यहां प्रस्तुत किये गए आवेदनों की कोई भी प्रमाणित प्रति अपनी अपील के साथ संलग्न नहीं की गई है। अपीलान्ट्स निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के किस आदेश के विरूद्ध अपील लेकर आए हैं, का भी कोई उल्लेख उनकी अपील में वर्णित नहीं है, और न उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत ही नहीं किया है। अपील केवल किसी तहत न्यायालय के आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है। अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 15:34:25 IST
Reason: SelfAttested